1497

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञा प न

क्रमांक 633 /1893/1(3) भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर, 1975

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश ।

विषयः- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से बेगार लेने के संबंध में ।

=*=

उपर्युक्त विषय पर राज्य शासन द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से बेगार न लिए जाने संबंधी आवश्यक आदेश जारी किए गए है । इन आदेशों के बावजूद भी शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि अभी भी अधिकारियों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से निजी कार्य लिया जाता है । ऐसी दशा में समस्त विभागों का ध्यान इस संबंध में पूर्व में जारी किए गए आदेशों की ओर पुनः आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से बिना अतिरिक्त भुगतान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निजी कार्य लिया जाना बंद किया जाय । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शासकीय सेवक होकर शासकीय कार्य के लिए है, यदि अधिकारियों द्वारा उसे पूर्ण समय के लिए अपना निजी सेवक समझा जाता है, तो यह सही नहीं है । यदि ऐसा कोई कर्मचारी स्वेच्छापूर्वक अतिरिक्त भुगतान करने पर निजी काम करने के लिए सहमत हो, तो उसे शासकीय कार्य कर लेने के पश्चात् ही, निजी कार्य करने दिया जा सकता है । किसी भी परिस्थिति में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निजी काम करने के लिए अधिकारियों द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता ।

2/ शासन चाहता है कि उक्त आदेशों को कड़ाई से पालन करने के लिये आप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उचित निर्देश दें, जिससे कि भविष्य में इस संबंध में कोई शिकायत का अवसर न आये । जो अधिकारी शासन आदेशों का पालन

=2=

148

नहीं करें तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाये ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के०एम० रतन)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

डी० क्रमांक 634 /1893/1(3) भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर, 1975

प्रतिलिपिः-

1- निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर

सचिव, राज्य सतर्कता आयोग ; मध्यप्रदेश, भोपाल

2- राज्यपाल के सचिव,/ सैनिक सचिव

सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल

3- अवर सचिव(अधीक्षण)/अवर सचिव(स्थापना)/लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश

सचिवालय, भोपाल

4- मुख्य मंत्री /समस्त मंत्रिगण/ समस्त राज्य मंत्रिगण/ समस्त उप मंत्रिगण

के निजी सचिव/निजी सहायक

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

::श्रीवासः: